



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.01.2025

- थाना राजपुर क्षेत्रान्तर्गत नवजात शिशु की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 01 नफर अभियुक्ता को 24 घंटे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।
- थाना राजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-02/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित थी अभियुक्ता ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में नवजात बच्चों सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 24.01.2025 को नवजात शिशु हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम 01 नफर अभियुक्ता पंजीकृत किया गया था। वांछित अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर तलाश की जा रही थी, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 24.01.2025 को वांछित अभियुक्ता पूनम पत्नी भूपेन्द्र निवासिनी ग्राम हसनपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन व हाल निवास मोहल्ला लोहियानगर कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को राजपुर सिलहरा रोड से सलेमपुर की तरफ जाने वाली खडन्जा की सड़क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

1. पूनम पत्नी भूपेन्द्र निवासिनी ग्राम हसनपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन व हाल निवास मोहल्ला लोहियानगर कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गौतम
2. 30नि0 श्री सूरजपाल सिंह
3. हे0का0 204 सनवेद सिंह
4. म0का0 1146 रोशनी